

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (8)

मैनुअल संख्या-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

मैनुअल-8

1. बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम

निदेशक मण्डल

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) के कम्पनीज एक्ट-1956 (न0 1 आफ 1956) के अन्तर्गत BRIDCUL (Formerly Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation Ltd. का दिनांक 25 मार्च, 2008 को पंजीयन के माध्यम से गठन हो जाने के फलस्वरूप निगम के लिए प्रथम निदेशकों, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नामांकन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुक्रम में निगम के निदेशक मण्डल का गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

2. रचना

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
2.	अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
3.	प्रमुख सचिव/ सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
8.	प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल	निदेशक पूर्णकालिक
9.	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
10.	मुख्य अभियंता स्तर-1 एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड	निदेशक (अंशकालिक)

3. तारीखे जिनसे गठन हुआ

BRIDCUL (Formerly Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation Ltd. का दिनांक 25 मार्च, 2008 को पंजीयन के माध्यम से किया गया था।

4. अवधि/कार्यकाल

5. क्रम सं०	नाम	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
2.	अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
3.	प्रमुख सचिव/ सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग,	निदेशक (अंशकालिक)

	उत्तराखण्ड शासन	
8.	प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल	निदेशक पूर्णकालिक
9.	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
10.	मुख्य अभियंता स्तर-1 एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड	निदेशक (अंशकालिक)

5. शक्तियां और कार्य

ब्रिडकुल के निदेशक मण्डल द्वारा ब्रिडकुल के नीति निर्धारण प्रकरण, वित्तीय मामले, अन्य महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते हैं।

6. क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?

निदेशक मण्डल व अंशधारियों की बैठकों की प्रक्रिया व उनके कार्यवृत्त सम्बन्धी प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रवृत्त होती हैं। निदेशक मण्डल की बैठकें पूर्णतया सार्वजनिक रूप से खुली नहीं होती तथा उनमें केवल निदेशक मण्डल के सदस्य ही भाग लेते हैं।

7. क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?

निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त का अवलोकन किया जा सकता है।

8. वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हैं?

ब्रिडकुल में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त का अवलोकन सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एवं विशेष आवश्यकता होने पर एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से अवलोकन कराया जा सकता है।